परिशिष्ट (अ)

12

प्रश्न सं. [क्र. 934]

MP Forest Department

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म. प्र.
पन्ना रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎07682-245116 (O), 245316 (Fax)
E mail: dfochhtarpur@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 5484 छतरपुर, दिनांक 1-12-20

प्रति

कलेक्टर
छतरपुर (म0 प्र0)

विषय :- आदर्श महाविद्यालय हेतु आवंटित भूमि के संबंध में।

सन्दर्भ :- 1. आपका आदेश पृष्ठा. क्र. / 14 / अ-19 (3) / भूमि.हस्ता. / 2020-21 दिनांक 19.11.2020
2. वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 2595 दिनांक 26.11.2020

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित आदेश से आपके द्वारा आदर्श महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम ढगा स्थित खसरा नं. 890 बन्दोबस्त पूर्व खसरा क्रमांक 625 / 2 / 1 / 4 आवंटित 2.400 हेक्टेयर का कुछ हिस्सा कक्ष क्रमांक पी-618 के अंतर्गत आता है जो कि वन भूमि है।

वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर के कथन अनुसार दिनांक 14.03.2020 को आपकी उपस्थिति में राजस्व एवं वन अमले द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर द्वारा मौके पर भी ब्लॉक मैप एवं वन मानचित्र के आधार पर उक्त खसरा नंबर का कुछ भाग वन सीमा के अंदर होना बताया गया था। यह सत्य है कि वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर द्वारा इस कार्यालय से प्रदाय निर्देशों के उपरांत भी तहसीलदार छतरपुर को निर्धारित तिथि पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आदर्श महाविद्यालय छतरपुर को आवंटित भूमि का कुछ हिस्सा वन क्षेत्र अंतर्गत आता है, जिसके संदर्भ में वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर द्वारा वन मानचित्र पर वन सीमा लाइन अंकित कर इस कार्यालय को सम्प्रेषित किया गया है, जो संलग्न सम्प्रेषित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभिलेखों के आधार पर आपके द्वारा जारी आदेश पृष्ठा. क्रमांक / 14 / अ-19 (3) / भूमि.हस्ता. / 2020-21 दिनांक 19.11.2020 यथाशीघ्र निरस्त करते हुए आदर्श महाविद्यालय हेतु अनयत्र भूमि आवंटित करने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(संजीव झा) 1/12/20
वन मण्डलाधिकारी
सा. वनमण्डल छतरपुर

परिशिष्ट-4

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग-छतरपुर म.प्र.

क्रमांक 116 / प्रवा-1 / 2021 छतरपुर ,दिनांक 26 02.2021

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी,
सामान्य वनमण्डल छतरपुर

विषयः- आर्दश महाविद्यालय हेत आवंटित भूमि के संबंध में ।

संदर्भः- आपका पत्र पृष्ठा.कमांक मा.चि / 2020,853 छतरपुर, दिनांक 16.10.2020 ।

--------000---------

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित में आपके द्वारा लेख किया गया है कि आर्दश महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम हमा स्थित भूमि खसरा नं.890 बंदोवस्त पूर्व खसरा नं. 625 / 2 / 1 / 4 आवंटित रवकवा 2.400 हे. का कुछ हिस्सा कक्ष कमांक पी-618 के अंतर्गत आता है , जो वन भूमि है । इस कारण आपके द्वारा उक्त भूमि जो आर्दश महाविद्यालय के नाम से आवंटित की गई है, उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त संबंध में अनुरोध है कि कृप्या पी-618 एवं खसरा नं. 890 बंदोवस्त पूर्व 625 / 2 / 1 / 4 से संबंधित राजस्व भूमि जो कि वन भूमि के रूप में चिन्हांकित एवं अंतरित की गई थी । प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जिसमें संबंधित खसरा नम्बर उल्लेखित हो कि प्रति अधोहस्ताक्षरी का उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक 116 / प्रवा-1 / 2021 छतरपुर ,दिनांक . 26.02.2021

प्रतिलिपिः-

01- कलेक्टर महोदय छतरपुर की ओर दिये निर्देश के परिपालन मे सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

02- प्राचार्य महाराजा महाविद्यालय छतरपुर की ओर सूचनार्थ।

03- कार्यपालन यंत्री पी आई यू छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।

04- अनुविभागीय अधिकारी वन(वृत्त) छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।

05- तहसीलदार तहसील छतरपुर की ओर सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग छतरपुर (म.प्र.)

महाराजा महाविद्यालय
आवक 1058
दिनांक 01/03/21